।।महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

क्रमांकः-उद्योग/16./ब.श्र.नि./2011/ 45482-95   दिनांकः 31/1/18

अधीक्षक
केन्द्रीय/जिला कारागृह,
जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अजमेर/बीकानेर/
भरतपुर/कोटा/श्रीगंगानगर/अलवर/टोंक।

विषयः-कारागृहों की उद्योगशालाओं में पावरलूमों पर बंदी वस्त्र निर्माण हेतु सूत उपलब्ध करवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्र्तगत मुख्यालय के पत्र क्रमांक उद्योग/16/ब.श्र. नि./2011/40590-600 दिनांक 12.01.2018 के द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि आपके कारागृहों की उद्योगशालाओं के संचालन एवं सश्रम कारावास से दण्डित बंदियों को श्रम के अवसर उपलब्ध कराने के उदेदशय से स्वयं रूचि लेकर सरकारी/गैरसरकारी विभागों से क्रय आदेश प्राप्त कर नियमानुसार आप उक्त क्रय आदेश एवं बिक्री की सम्भावनाओं को मध्येनजर रखते हुये आवश्यक कच्चा माल, सूत इत्यादि क्रय कर उत्पादन कार्य सुचारू रूप से संचालित करावें ताकि श्रम उपलब्ध कराय जा सकें।

विभिन्न कारागृहों द्वारा अवगत कराया गया है कि सूत के अभाव में पर्याप्त उत्पादन नही हो पा रहा है।इस परिपेक्ष्य में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप केन्द्रीय कारागृह/रेन्ज कार्यालय के स्तर पर आपकी आवश्यकता अनुसार सूत क्रय करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

भवदीय

(भूपेन्द्र सिंह)
अति.महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपिः-निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उपमहानिरीक्षक कारागार रेन्ज कार्यालय, जयपुर
2. उपमहानिरीक्षक कारागार रेन्ज कार्यालय, उदयपुर
3. उपमहानिरीक्षक कारागार रेन्ज कार्यालय, जोधपुर

अति.महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान,जयपुर